## प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सडक योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण–पत्र

नगर पंचायत का नाम–नगर पंचायत,ढण्डेरा

तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा हैं

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत,ढण्डेरा
हरिद्वार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत,ढण्डेरा
(हरिद्वार)

प्रशासक
नगर पंचायत,ढण्डेरा
हरिद्वार।

प्रशासक
नगर पंचायत,ढण्डेरा
(हरिद्वार)

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जपनद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019—20) केन्द्रीय सडक योजना के अन्तर्गत रुडकी—लक्सर—बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2066 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ~~नगला इमरती~~ बसेडी

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी—लक्सर—बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। असके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पं0.....बसेडी.....
वि0ख0 (हरिद्वार)
दि0 15-7-4-22

प्रशासक/सहायक विकास अधि0 (पं0)
वि0 ख0-लक्सर
जनपद-हरिद्वार
15/3/22

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जपनद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सडक योजना के अन्तर्गत रुडकी–लक्सर–बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2066 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ~~नमला इमरती~~ बहादरपुर

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। असके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

15.03.22
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम बहादरपुर
वि0ख0 लक्सर (हरिद्वार)

15/3/22
प्रशासक/सहायक विकास अधि० (पं०)
वि० ख०–लक्सर
जनपद हरिद्वार

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जपनद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सडक योजना के अन्तर्गत रुडकी–लक्सर–बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2066 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत नगला इमरती

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। असके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

Bimla 14/3/2022

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नगला इमरती
वि0ख0 नारसन (हरिद्वार)

14/3/2022